26/10/2020

पत्रावली पेश हुई। अदीया के अधिवक्ता उपस्थित। "हिदायत पेरवी नहीं" अंकित किया है। वादीया स्वयं उपस्थित नहीं। रुक-रुक कर कई बार आवाज लगवाने पर भी वादीया उपस्थित नहीं, अधिवक्ता प्रतिवादी अथवा प्रतिवादी भी उपस्थित नहीं। वादीया के उपस्थित नहीं होने एवं उसके अधिवक्ता द्वारा "हिदायत पेरवी नहीं" अंकित करने से वर पक्ष अदम हाजरी अदम पैरवी, अदम जबुत मे खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हिदायत पेरवी नहीं
(No instruction sign.)
(मजिस्ट्रेट)

2015
00272

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.11.03 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)